MJC - ACCOUNT II - Semester
B.Com ~~Part~~ - II
Business organisation and Managment

(1)

classmate
Date
Page

साझेदारी - Partnership

Q: — साझेदारी के गुण-दोष बताइये।

Ans: — साझेदारी के गुण

साझेदारी व्यवसाय के बहुत सारे लाभ है जो निम्न है —

(1) व्यवसाय प्रारम्भ करने में सरलता — एकाकी व्यापार के तरह साझेदारी की स्थापना भी सरलता से की जा सकती है। इसके लिए बहुत सारी कानूनी औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं होती है। साझेदारी फर्म का पंजीकरण भी आवश्यक नहीं है। साझेदार आपस में मौखिक या लिखित अनुबंध के आधार पर साझेदारी फर्म का गठन कर सकते है।

(2) अधिक संसाधनों की उपलब्धता — आज व्यवसाय का स्वरूप बदल रहा है। और व्यवसाय में काफी प्रतियोगिता होते जा रही है। जिसमें अधिक धन की भी आवश्यकता पड़ रही है। साझेदारी में दो या अधिक व्यक्ति होने के कारण एकल व्यवसाय की तुलना में अधिक पूंजी लगायी जा सकती है। व्यवसाय के लिए अधिक श्रम एवं अधिक कुशल साझेदार होने के कारण व्यवसाय को बहुत आगे बढ़ा सकते है।

(3) संतुलित निर्णय — साझेदार ही व्यवसाय के स्वामी है। व्यवसाय में लाभ होने कि स्थिति में सभी साझेदारों को इसका लाभ मिलता है और हानि की स्थिति में सभी साझेदारो का नुकसान उठाना पड़ता है। साझेदारी में प्रत्येक साझेदारी फर्म में भाग लेने का अधिकार है। किसी तरह के

(2)

मतभेद होने पर वे आपस में बैठकर टकराव की स्थिति को टाल सकते है। इस व्यवसाय में सभी साझेदार आपस में मिलकर निर्णय लेते है। इसलिए निर्णय में जल्दबाजी और बिना सोचे समझे निर्णयों की गुंजाइश कम रहती है।

(5) हानियों का विभाजन — साझेदारी व्यवसाय में सभी साझेदार मिलकर जोखिम उठाते है। उदाहरण के लिए यदि किसी साझेदारी फर्म चार साझेदार है लाभों को बराबर विभाजित करते है तथा किसी समय फर्म को 100000 रुपये की हानि होती है तो चारो साझेदारो को पच्चीस - पच्चीस हजार की हानि का बोझ उठायेंगे।

साझेदारी के दोष —

साझेदारी के दोष निम्नलिखित है। जो निम्न है —

(1) असीमित देनदारी — साझेदारी फर्म के अन्दर साझेदारो का दायित्व असीमित होता है। साझेदारी के अन्दर यदि ऋण लिया जाता है। तो उसका दायित्व सभी साझेदारो पर असीमित रुप से होता है। यदि फर्म का ऋण वे फर्म के सम्पत्ति से नहीं कर पाते है तो उनके देनदारी उनके निजी सम्पत्ति से भी करना पड़ता है।

(2) अनिश्चित ~~अस्थि~~ अस्तित्व — साझेदारी व्यवसाय का अपने साझेदारो से अलग कोई कानूनी अस्तित्व नहीं होता। किसी भी साझेदार मृत्यु, दिवालिया या पागल या उसकी सेवानिवृत्ति से साझेदारी फर्म प्रायः समाप्त हो जाती है।

इसके अतिरिक्त कोई भी असंतुष्ट साझेदार जब चाहे साझेदारी भंग करने का नोटिस दे सकता है।

(3) सीमित पूंजी — चूँकि साझेदारी में साझेदारों की संख्या सीमित होती है। और बहुत बड़े व्यवसाय के लिए बहुत ही अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। उतना अधिक पूंजी की व्यवस्था का पाना कठिन है। जिसके चलते कोई बड़ा व्यवसाय का पाना सम्भव नहीं होता है।

(4) शेयरों का हस्तांतरण नहीं — यदि आप किसी साझेदारी फर्म में हिस्सेदारी है तो दूसरे साझेदारों के सहमति के बिना हस्तांतरण नहीं कर सकते हैं। ऐसे में उस साझेदार को असुविधा होती है जो फर्म से अलग होना चाहता या अपना शेयर दूसरों को बेचना चाहता है।

X ——— X ——— X

Dr. Raj Kumar Prasad
Associate Professor
Dept. of Commerce
Shershah College
SASARAM